[2022] 13 एस. सी. आर 295

ए.

डैक्साबेन

बनाम

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1061-1084) 29 जुलाई, 2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-एफ. आई. आर. को रद्द करना-एफ. आई. आर. यू/एस.306 आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, दस साल के कारावास की सजा-शिकायतकर्ता और प्राथमिकी में नामित आरोपी के बीच समझौते के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःएक बार जब राज्य द्वारा एक प्राथमिकी और/या आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है और एक आपराधिक मामला शुरू किया जाता है, तो यह राज्य और अभियुक्त के बीच का मामला बन जाता है-राज्य का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि समाज में कानून और व्यवस्था बनी रहे और अपराधी पर मुकदमा चलाया जाए-एक सूचना देने वाले को गंभीर, गंभीर और/या जघन्य प्रकृति के गैर-शमनीय अपराध की शिकायत को वापस लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जो समाज को प्रभावित करता है-अपराध यू/एस।306 आत्महत्या के लिए उकसाना एक गंभीर, गैर-यौगिक अपराध है -s.307 जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है और इसे समाज के खिलाफ अपराध के रूप में माना जाना चाहिए न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ-तर्क की समानता पर, अपराध यू/एस।306 यह उसी श्रेणी में आएगा-एक एफ. आई. आर. यू/एस.।306 सूचना देने वाले, जीवित जीवनसाथी, माता-पिता, बच्चों, अभिभावकों, देखभाल करने वालों या किसी और के साथ किसी भी वित्तीय समझौते के आधार पर भी रद्द नहीं किया जा सकता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है-दंड संहिता, 1860 -एस. 307।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि **1.1** यह मुद्दा कि क्या धारा **482 Cr.P.C** के तहत आरोपी द्वारा दायर आपराधिक विविध आवेदनों की अनुमति दी जा सकती थी और आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** के तहत एक एफ**.** आई**.** आर**.,** जिसमें दस साल के कारावास की सजा शामिल है**,** को शिकायतकर्ता और एफ**.** आई**.** आर**.** में नामित आरोपी के बीच समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता था**,** का जवाब नकारात्मक में दिया जाता है।**[**पैरा **25] [308-**सी**-**डी**]**

जी.

एच.

295 ए.

296 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

1.2 भले ही**,** धारा **482 Cr.P.C** के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति**,** आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए व्यापक है**,** इस तरह की शक्ति का प्रयोग असाधारण मामलों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।धारा **482 Cr.P.C** के तहत अधिकारिता का उपयोग पूछने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।असाधारण मामलों में**,** न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए**,** उच्च न्यायालय धारा **482** के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। हालाँकि**,** हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब शिकायत में किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया हो**,** या स्पष्ट रूप से तुच्छ**,** परेशान करने वाला या दमनकारी हो।**[**पैरा **27,29] [308-**एफ**; 309-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

1.3 आत्महत्या के लिए उकसाने का आई**.** पी**.** सी**.** की धारा**306** के तहत अपराध एक गंभीर**,** गैर**-**यौगिक अपराध है।बेशक**,** आई**.** डी**. 1** की धारा **482** के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इसका उपयोग गैर**-**शमनीय अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने**,** न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी किया जा सकता है।जहां पीड़ित और अपराधी ने अनिवार्य रूप से दीवानी और व्यक्तिगत प्रकृति के विवादों से समझौता किया है**,** उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।किन मामलों में समझौता करने पर प्राथमिकी या आपराधिक शिकायत या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है**,** यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।हालांकि**,** किसी प्राथमिकी**,** आपराधिक शिकायत और**/**या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा **482 Cr.P.C** के तहत अपनी

शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को सावधानी बरतनी होगी और अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना होगा।जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उन्हें अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती और यहां तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध न तो निजी हैं और न ही नागरिक प्रकृति के हैं।इस तरह के अपराध समाज के खिलाफ हैं।किसी भी परिस्थिति में समझौता करने पर अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है, जब अपराध गंभीर और गंभीर हो और समाज के खिलाफ अपराध के दायरे में आता हो।**[**पारस **37,38] [313-**डी**-**जी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.4 केवल ए के साथ एक समझौते के आधार पर गंभीर और गंभीर अपराधों से संबंधित एफ**.** आई**.** आर**.** और/या शिकायतों को रद्द करने का आदेश

एच.

297

डैक्साबेन बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

शिकायतकर्ता, एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जहाँ अभियुक्त से धन निकालने की दृष्टि से अप्रत्यक्ष कारणों से शिकायतें दर्ज की जाएंगी।इसके अलावा, आर्थिक रूप से मजबूत अपराधी सूचना देने वालों/शिकायतकर्ताओं को खरीदकर और उनके साथ समझौता करके, हत्या, बलात्कार, दुल्हन को जलाने आदि जैसे गंभीर और गंभीर अपराधों के मामलों में भी मुक्त हो जाते थे।यह एक विशिष्ट सामाजिक उद्देश्य के साथ आई**.** पी**.** सी**.** में एक निवारक के रूप में शामिल की गई धाराओं, जैसे कि धारा **376,498-**ए**, 304-**बी आदि को अन्य प्रावधानों में बदल देगा।**[**पैरा **39] [314-**ए**-**बी**]**

बी.

1.5 आपराधिक न्यायशास्त्र में, शिकायतकर्ता की स्थिति केवल सूचना देने वाले की होती है। एक बार जब एक प्राथमिकी और/या आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है और राज्य द्वारा एक आपराधिक मामला शुरू किया जाता है, तो यह राज्य और आरोपी के बीच का मामला बन जाता है।यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि समाज में कानून और व्यवस्था बनी रहे। अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्य का काम है।गंभीर और गंभीर गैर**-**शमनीय अपराधों के

मामले में जो समाज को प्रभावित करते हैं, सूचना देने वाले और/या शिकायतकर्ता को केवल सुनवाई का अधिकार है, यह सुनिश्चित करने की सीमा तक कि न्याय अपराधी को दोषी ठहराकर और सजा देकर किया जाता है।एक सूचना देने वाले को गंभीर, गंभीर और/या जघन्य प्रकृति के गैर-शमनीय अपराध की शिकायत को वापस लेने का कानूनी अधिकार नहीं है, जो समाज को प्रभावित करता है।**[**पैरा **40] [314-**सी-डी**]**

सी.

डी.

ई.

1.6 धारा **482** के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय शिकायत में आरोप की शुद्धता की जांच नहीं करता है, सिवाय असाधारण रूप से दुर्लभ मामलों के जहां यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आरोप तुच्छ हैं या किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।**[**पैरा **49] [322-**ए**]**

एफ.

1.7 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके आपराधिक कार्यवाही को शुरू में ही समाप्त नहीं किया जा सकता है। पी**.** सी**.** केवल इसलिए कि एक समझौता है, इस मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता और मृतक के अन्य रिश्तेदारों के बीच मृतक की असहाय विधवा को बाहर करने के लिए एक मौद्रिक समझौता है।आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **307** जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आती है और इसे समाज के खिलाफ अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ।तर्क की समानता पर, आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** के तहत अपराध उसी श्रेणी में आएगा।आई**.** पी**.** सी**.** की धारा**306** के तहत एक एफ**.** आई**.** आर**.** को सूचना देने वाले, जीवित पति या पत्नी के साथ किसी भी वित्तीय समझौते के आधार पर भी रद्द नहीं किया जा सकता है।

जी.

एच.

ए.

माता-पिता, बच्चे, अभिभावक, देखभाल करने वाले या कोई और।यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न की जांच करना आवश्यक नहीं था कि क्या इस मामले में प्राथमिकी आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **376** के तहत किसी अपराध का खुलासा करती है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया कि आरोपी और मुखबिर के बीच

विवादों से समझौता किया गया था।उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को खारिज कर दिया जाता है।**[**पारस **50,51] [322-**बी**-**ई**]**

बी.

एम. अर्जुनन बनाम राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक (2019) 3 एससीसी315 द्वारा किया गया है; उदे सिंह और अन्य बनामकी स्थिति

हरियाणा (2019) 17 एससीसी 301:[2019] 9 एससीआर 703;

सी.

रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **(2001) 9** एससीसी

618 :[2001] 4 पूरक।एस. सी. आर. 247; एस. एस. चीना बनाम विजय

कुमार महाजन और एक अन्य **(2010) 12** एस**.** सी**.** सी**. 190:[2010] 9** एस**.** सी**.** आर**. 1111;** न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम**.**

कृष्ण कुमार पांडे (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1786; राज्य

पंजाब बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य।

डी.

(2011) 14 एससीसी 770:[2011] 15 एससीआर 540; मोनिका कुमार (डॉ.) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 8 एस. सी. सी. 781:[2008]

9 एस**.** सी**.** आर**. 943;** श्रीमती धनलक्ष्मी बनाम आर**.** प्रसन्न कुमार

ए**.** आई**.** आर **1990** एस**.** सी **494:(1990)** मान लीजिए एस**.** सी**.** सी**. 686: [1989]**

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 165;** दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी और अन्य **(1983) 1** एस**.** सी**.** सी**. 1:[1983] 1** एस**.** सी**.** आर**. 884;** आंध्र प्रदेश राज्य बनाम

ई.

गौरीशेट्टी महेश (2010) 11 एससीसी 226:[2010]

8 एस**.** सी**.** आर**. 423;** परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य **(2013) 11** एस**.** सी**.** सी**. 673;** माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम संभाजीराव आंग्रे **(1988) 1** एस**.** सी**.** सी**. 692:[1988] 2** एस**.** सी**.** आर**. 930;** इंदर मोहन गोस्वामी बनाम राज्य

एफ.

उत्तरांचल (2007) 12 एस. सी. सी. 1:[2007] 10 एससीआर 847;

पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह **(1980) 2** एस**.** सी**.** सी**. 471:[1980] 1** एससीआर **1071;** कपिल अग्रवाल और ओआरएस**.** वी**.**संजय

शर्मा और अन्य (2021) 5 एस. सी. सी. 524; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस. सी. सी. 303:[2012]

जी.

8 एस**.** सी**.** आर**. 753;** नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2014)**

9 एससीसी 466:[2014] 4 एससीआर 1012; महाराष्ट्र राज्य बनाम विक्रम अनंतराई दोशी (2014) 15 एससी 29:[2013]

12 एस**.** सी**.** आर**. 563;** सी**.** बी**.** आई बनाम मनिंदर सिंह **(2016) 1** एस**.** सी**.** सी**. 389** ए

एच.

299

डैक्साबेन बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

:[2015] 10 एस**.** सी**.** आर**. 277;** तमिलनाडु राज्य बनाम आर**.** वसंत

स्टेनली (2016) 1 एससीसी 376:[2015] 9 एससीआर 772;

परबतभाई अहीर उपनाम पर्बतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य

(2017) 9 एससीसी 641:[2017] 10 एस. सी. आर. 12; मध्य राज्य

प्रदेश बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य। **(2019) 5** एससीसी **688:[2019] 2** एस**.** सी**.** आर**. 864;** अरुण सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अपने सचिव के माध्यम से और एक अन्य **(2020)**

बी.

3 एससीसी **736:[2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 707-**संदर्भित।संदर्भित विधि निर्णय

(2019) 3 एस**.** सी**.** सी**. 325**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

सी.

[2019] 9 एससीआर **703**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[2001] 4 पूरक।एससीआर **247**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

[2010] 9 एससीआर **1111**

डी.

[2011] 15 एससीआर **540**

संदर्भित किया गया है

पैरा **21**

[2008] 9 एससीआर **943**

संदर्भित किया गया है

पैरा **28**

[1989] पूरक।एससीआर **165**

संदर्भित किया गया है

पैरा **29**

[1983] 1 एससीआर **884**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

ई.

[2010] 8 एससीआर **423**

संदर्भित किया गया है

पैरा **31**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

(2013) 11 एस**.** सी**.** सी**. 673**

[1988] 2 एससीआर **930**

संदर्भित किया गया है

पैरा **33**

[2007] 10 एससीआर **847**

संदर्भित किया गया है

पैरा **34**

एफ.

[1980] 1 एससीआर **1071**

संदर्भित किया गया है

पैरा **35**

(2021) 5 एस**.** सी**.** सी**. 524**

संदर्भित किया गया है

पैरा **36**

संदर्भित किया गया है

पैरा **41**

[2012] 8 एससीआर **753**

[2014] 4 एससीआर **1012**

संदर्भित किया गया है

पैरा **42**

जी.

[2013] 12 एससीआर **563**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

[2015] 10 एससीआर **277**

संदर्भित किया गया है

पैरा **44**

[2015] 9 एससीआर **772**

संदर्भित किया गया है

पैरा **45**

[2017] 10 एससीआर **12**

संदर्भित किया गया है

पैरा **46**

एच.

300 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

ए.

[2019] 2 एससीआर **864**

संदर्भित किया गया है

पैरा **47**

[2020] 3 एससीआर **707**

संदर्भित किया गया है

पैरा **48**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की आपराधिक अपील संख्या 1061-1084।

2020 के आर/आपराधिक विविध आवेदन Nos.5600,5107,5004,5108,5165,5159,5161,5524,5166,5162 और 5739 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक <आईडी2 के निर्णय और आदेश से और आर/आपराधिक विविध आवेदन

Nos.10845,10846,10847,10848,10849,10850,10851,10852,1085
3,10855,10856 और 2021 के 10858 में दिनांकित आदेश से।

बी.

सी.

प्रियंक अध्यारू, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अनीता शेनॉय, मनिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री अर्चना पाठक दवे, विवेक माथुर, सुश्री आरती कृपा कुमार, सुश्री आयुषमा अवस्थी, वैभव जोशी, अंकुर माथुर, इवान, सुश्री मोहिनी प्रिया, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवारा, प्रभास बजाज, प्रणव सहगल, अजय सबरवाल, मानवेंद्र सिंह, जी. पी. कैप्टन।करण सिंह भाटी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 अक्टूबर 2020 के विवादित अंतिम फैसले और आदेश के खिलाफ हैं, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Cr.P.C) की धारा 482 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदनों को अनुमति दी गई है, जो आर/आपराधिक विविध है।आवेदन संख्या 2020 की 5026,2020 की 5600,2020 की 5107,2020 की 5004,2020 की 5108,2020 की 5165,2020 की 5159,2020 की 5161,2020 की 5524,2020 की 5166,2020 की 5162,2020 की 5739 और सी. आर. नं. आई-11209016200112 दिनांक 1 मार्च 2020 को हिम्मतनगर 'ए' डिवीजन पुलिस स्टेशन, जिला साबरकांठा में पंजीकृत है, और उच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई 2021 को आर/आपराधिक विविध के रूप में पंजीकृत अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक विविध आवेदनों को खारिज करते हुए पारित आदेश भी।आवेदन संख्या 2021 की 10845,2021 की 10846,2021 की 10847,2021 की 10848,2021 की 10849,2021 की 10850,2021 की 10851,2021 की 10852,2021 की 10853,2021 की 10855,2021 की 10856, ए

एफ.

जी.

एच.

10858 20 अक्टूबर 2020 के उक्त सामान्य अंतिम आदेश को वापस लेने के लिए 2021 का आदेश।

3. अपीलकर्ता स्वर्गीय शैलेश कुमार चिमनभाई पटेल की पत्नी हैं, जिन्हें इसके बाद "मृतक" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1 मार्च 2020 को अपने कार्यालय में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।4. मृतक के चचेरे भाई होने का दावा करने वाले और मृतक के लिए काम करने वाले लेखाकार पिनाकिन कांतिभाई पटेल ने सी. आर. नं. के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराई। आई-11209016200112 दिनांक 1 मार्च 2020 को हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन, जिला साबरकांठा के साथ, 12 अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लेते हुए, जो ऊपर निर्दिष्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में आपराधिक विविध आवेदनों में आवेदक हैं, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 306 के तहत मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध किया था।

बी.

सी.

5. एफ. आई. आर. के अनुसार, मृतक ने एक हस्तलिखित नोट छोड़ा है, जिसकी सामग्री नीचे दी गई हैः-

डी.

“पूरे सम्मान के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं, जिगर ट्रांसपोर्ट का मालिक शैलेश कुमार चिमनलाल पटेल कहता हूं कि मेरे साथ धोखा हुआ है।नाम और कथन 1 के नीचे दिए गए हैं। अनिल माथुर के निर्देशों के अनुसार, मैंने निम्नलिखित राशि का भुगतान किया हैःअनिल माथुर, आरटीओ, जोधपुर, सर्विस रतनपुर आरटीओ चेक पोस्ट, अनिल माथुर, Rs.600000-, प्रमोद दधीची Rs.10,00,000/-, सुनील माथुर, Rs.300000-, निहारिका माथुर Rs.800000-, मालविका माथुर Rs.300000-, नीरू माथुर Rs.700000-, डॉली माथुर Rs.300000-।उपरोक्त राशियों के खातों का भुगतान नहीं किया गया है और उन्होंने राशि वापस नहीं की है।

ई.

एफ.

2. आर. टी. ओ., मंदार बॉर्डर में सेवारत कर्णी भवर्षा और आर. टी. ओ. में सेवारत राज्कुआर जी. ने कंपनी शुरू की थी और राशि उनकी आर. पी. पावरटेक कंपनी में दी जाती है और कुल राशि Rs.3723200-आती है।

जी.

3. विजयसिंह भाटी जिन्होंने मेरे साथ सबसे अधिक धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की है।मुझे Rs.14700000 (केवल एक करोड़ सैंतालीस लाख रुपये) का श्रेय जाता है।इस व्यक्ति से। मुझे चंद्रवीरसिंह भाटी से रु. 1,50,000 और पदम भाटी से रु. Rs.10,00,000 का क्रेडिट भी मिलता है।उन्होंने मेरा क्रेटा ले लिया है।

एच.

आरटी No.6797 वाली कार और वे मेरी कार वापस नहीं दे रहे हैं।आवश्यक कार्य करने का अनुरोध किया जाता है।"

6. एफ. आई. आर. में लिखा हैः-

"अंग्रेजी में हस्ताक्षर है।हस्ताक्षर के नीचे पटेल शैलेशकुमार चिमनलाल नाम गुजराती में लिखा हुआ है।पदम भाटी, चंद्रवीरसिंह भाटी, डॉली माथुर, नीरू माथुर, मालविका माथुर, निहारिका माथुर, सुनील माथुर, प्रमोद दधीची, अनिल माथुर, पी. के. पावरटेक, कमलपाल मिनरल प्राइवेट लिमिटेड, लीना कम्प्यूटरीकृत लेजर स्टेटमेंट्स के नाम स्टेपल पिन के साथ चिपकाए गए हैं।ये शब्द शैलेश कुमार की लिखावट में लिखे गए हैं।मुझे लिखावट पता है।मैंने यह चिट अपूर्वाभाई को ऑफिस में दी थी।उन्होंने उक्त चिट को पढ़ लिया था।उसने मुझे बताया कि यह शैलेश कुमार का सुसाइड नोट है।

बी.

सी.

सुसाइड नोट में प्रमोद धिधासी का नाम लिखा है लेकिन असली नाम प्रमोद दधीची है।वह पैसा विजयसिंह को छोड़कर सभी लोगों को बैंक के माध्यम से दिया गया था।विजयसिंह के कमलपाल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को Rs.18,52,000/दिया गया था।"

डी.

7. एफ़. आई. आर. में, यह आरोप लगाया गया था कि मृतक अभियुक्त व्यक्तियों को अपने पैसे वापस करने के लिए फोन कर रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।अभियुक्त ने मृतक के साथ 200/- रुपये की धोखाधड़ी की थी।मृतक गंभीर वित्तीय संकट में था और इसलिए, अपनी जान लेने के लिए विवश था।

ई.

8. आई. पी. सी. की धारा306 में कहा गया हैः

“306. आत्महत्या के लिए उकसाना।-यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।”

एफ.

9. जैसा कि प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री शेनॉय ने तर्क दिया, आई. पी. सी. की धारा306 के तहत आत्महत्या के लिए कथित उकसावे का गठन करने के लिए जो आवश्यक है, वह यह है कि आत्महत्या के अपराध के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने का आरोप होना चाहिए।

जी.

एच.

303

डैक्साबेन बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

10. सुश्री शेनॉय ने एम. अर्जुनन बनाम राज्य का हवाला दिया।

पुलिस निरीक्षक **1,** जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः**-**

“7. आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व हैंः((i) उकसाना; (ii) मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने या उकसाने का अभियुक्त का इरादा। हालाँकि, अभियुक्त का अपमानजनक भाषा का उपयोग करके मृतक का अपमान करना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा।यह सुझाव देने में सक्षम सबूत होना चाहिए कि आरोपी का इरादा मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का था।जब तक आत्महत्या के लिए उकसाने/उकसाने के तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

बी.

सी.

11. सुश्री शेनॉय ने उडे सिंह और ओआरएस बनाम का भी हवाला दिया।हरियाणा राज्य 2,

जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

16. आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में, आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए।इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि आत्महत्या के कारण का सवाल, विशेष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के संदर्भ में, एक परेशान करने वाला सवाल बना हुआ है, जिसमें मानव व्यवहार और प्रतिक्रियाओं/प्रतिक्रियाओं के बहुआयामी और जटिल गुण शामिल हैं।आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, न्यायालय आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्यों के ठोस और विश्वसनीय प्रमाण की तलाश करेगा।आत्महत्या के मामले में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक के उत्पीड़न का केवल आरोप तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि आरोपी की ओर से ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है और ऐसी अपमानजनक कार्रवाई घटना के समय के निकट होनी चाहिए।किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया है या नहीं, यह केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

16.1.यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी व्यक्ति ने दूसरे को आत्महत्या के लिए उकसाया है, विचार यह होगा कि क्या आरोपी आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य का दोषी है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में समझाया और दोहराया गया है, उकसाने का अर्थ है उकसाना, आग्रह करना।

जी.

1 (2019) 3 एस. सी. सी. 315 2 (2019) 17 एस. सी. सी. 301

एच.

किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना।यदि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अतिसंवेदनशील थे और अभियुक्त की कार्रवाई से सामान्य रूप से किसी समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं की जाती है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं हो सकता है।लेकिन, दूसरी ओर, यदि आरोपी अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे मृतक को आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प समझ में नहीं आता है, तो मामला आई. पी. सी. की धारा 376 के चारों कोनों में आ सकता है। यदि अभियुक्त पीड़ित के आत्मसम्मान और आत्मसम्मान को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो अंततः पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, तो अभियुक्त को आत्महत्या

के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है।ऐसे मामलों में अभियुक्त की ओर से पुरुष कारण के प्रश्न की जाँच अभियुक्त के वास्तविक कृत्यों और कार्यों के संदर्भ में की जाएगी और यदि कार्य और कार्य केवल ऐसी प्रकृति के हैं जहां अभियुक्त का इरादा उत्पीड़न या अचानक क्रोध के प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं है, तो कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से कम हो सकता है।हालाँकि, यदि आरोपी मृतक को शब्दों या कार्यों से परेशान या परेशान करता रहा जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या उसे उकसाया गया, तो कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का हो सकता है।मानव व्यवहार के नाजुक विश्लेषण का मामला होने के कारण, प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों पर की जानी चाहिए, साथ ही आरोपी और मृतक के कार्यों और मानसिकता पर असर डालने वाले सभी आसपास के कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।"

बी.

सी.

डी.

ई.

12. सुश्री शेनॉय ने रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य **3** का उल्लेख किया**,** जहां इस न्यायालय ने 'उकसाने' को निम्नानुसार परिभाषित किया है:**-**

एफ.

"प्रेरणा किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना है।"

13. एस. एस. चीना बनाम विजय कुमार महाजन और एक अन्य।4 ,

प्रत्यर्थी की ओर से उद्धृत, इस न्यायालय ने कहा:- "25. प्रोत्साहन में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल है।अभियुक्त की ओर से उकसाने या अपराध करने में सहायता करने के लिए एक सकारात्मक कार्य के बिना

जी.

3 (2001) 9 एससीसी 618 4 (2010) 12 एससीसी 190 ए

एच.

आत्महत्या, दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।विधायिका का इरादा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए।इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली।"

बी.

14. ऊपर उल्लिखित निर्णयों में प्रतिपादित और/या पुनः प्रतिपादित कानून का प्रस्ताव अच्छी तरह से तय किया गया है।क्या कथित कार्य एक अपराध होगा, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

सी.

15. हालाँकि, इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने इस सवाल को भी संबोधित नहीं किया कि क्या प्राथमिकी में आरोप आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध है या नहीं।एफ़. आई. आर. में नामित अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच समझौते को देखते हुए एफ़. आई. आर. को रद्द कर दिया गया था।

डी.

16. इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने का कार्य किया गया था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने उस प्रश्न पर विचार नहीं किया है।यह उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का एक अप्रत्यक्ष कार्य भी आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध होगा।

ई.

17. अदालत में, यह प्रस्तुत किया गया था कि पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया था।इस तरह के प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, शिकायतकर्ता और मृतक के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित विवादों के निपटारे के हलफनामों को रिकॉर्ड में रखा गया था।

एफ.

18. उच्च न्यायालय ने कहाः

"9. चूंकि अब, विवादित एफ. आई. आर. के संदर्भ में विवाद को पक्षों द्वारा और उनके बीच निपटाया और हल किया जाता है, जिसकी पुष्टि मूल शिकायतकर्ता द्वारा उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से की जाती है, इसलिए मुकदमा निरर्थक होगा और कार्यवाही को आगे जारी रखना

कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।इसलिए, विवादित एफ. आई. आर. को रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है।

जी.

10. नतीजतन, आवेदनों की अनुमति दी जाती है।आक्षेपित एफ. आई. आर. नं. C.R.No। 2020 का आई-11209016200112 पंजीकृत

एच.

306 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

हिम्मतनगर 'ए' डिवीजन पुलिस स्टेशन, जिला साबरकांठा और उक्त प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाली अन्य सभी परिणामी कार्यवाही को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और आवेदकों को अलग कर दिया जाता है।"

19. 29 जुलाई 2021 के सामान्य आदेश द्वारा, इन अपीलों में भी आक्षेप किया गया था, 20 अक्टूबर 2020 के आदेश को वापस लेने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।उच्च न्यायालय ने कहाः-

बी.

"22. ...हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, इस न्यायालय ने मूल प्रथम मुखबिर, जो मृतक का चचेरा भाई है और मृतक की फर्म के लेखाकार के रूप में काम कर रहा था, के बीच हुए समझौते पर विचार करने के बाद दिनांक 1 का आदेश पारित किया है।इसके अलावा, जांच एजेंसी ने पक्षों के बीच हुए समझौते की वास्तविकता के बारे में पुष्टि की है।यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान आवेदक एक तीसरा पक्ष है-जैसा कि आवेदन के पैराग्राफ नंबर 1 में कहा गया है और इसलिए, जहां तक विचाराधीन एफ़. आई. आर. का संबंध है, वह एफ़. आई. आर. में केवल एक गवाह है। इसलिए, जब इस न्यायालय ने सुनवाई का अवसर देने के बाद एक आदेश पारित किया है, तो मूल प्रथम सूचना देने वाला-मृतक का चचेरा भाई, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय वापस लेने की आवश्यकता नहीं है।

सी.

डी.

ई.

23. इस स्तर पर, यह एक बार फिर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आवेदक ने पृष्ठ संख्या 9 पर आवेदन के ज्ञापन में कहा है कि प्रतिवादी संख्या 3-मूल प्रथम सूचना देने वाले ने एक व्यक्तिगत मूल आरोपी से मोटी राशि जेब में डाल ली है और वह रद्द करने की याचिका की

अनुमति देने के लिए पूरी तरह से तस्वीर पोस्ट से बाहर है और वर्तमान आवेदक के संपर्क में नहीं है।इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3-मूल प्रथम सूचना देने वाले द्वारा मूल अभियुक्त के साथ विवाद का निपटारा करने के बाद, उसने आवेदक को उक्त राशि नहीं दी/भुगतान नहीं किया है, हालांकि, कारणों से, आवेदक के लिए हमेशा प्रतिवादी संख्या 3-मूल प्रथम सूचना देने वाले के खिलाफ उचित कार्यवाही दायर करने का अधिकार है।इसलिए, वर्तमान आवेदन, जो आदेश को वापस लेने के लिए दायर किया गया है, बनाए रखने योग्य नहीं है, और वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह न्यायालय दिनांकित 20.10.2020 आदेश को वापस लेने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

307

डैक्साबेन बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

24. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, इन सभी आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है।”

20. उपरोक्त निर्णय में, उच्च न्यायालय ने सी. आर. एल. में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पारित 6 दिसंबर 2019 के एक आदेश का उल्लेख किया। 2019 की अपील No.1852 (न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम.कृष्ण कुमार पांडे 5) जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि से उत्पन्न संशोधन में, उच्च न्यायालय सेवा नियमों के अनुसार दुराचार के लिए अभियुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के नियोक्ता के अधिकार पर मुहर नहीं लगा सकता था।

बी.

21. कृष्ण कुमार पांडे (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले को मंजूरी के साथ संदर्भित किया। 6 जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय को किसी ऐसे निर्णय और/या आदेश को वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति से वंचित नहीं किया गया था जो अधिकारिता के बिना था, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था, या आदेश से प्रभावित किसी पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था या जहाँ न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके कोई आदेश प्राप्त किया गया था जो वास्तव में इसके अधिकार क्षेत्र के बिना होने के बराबर होगा। इस तरह के आदेशों को वापस लेने के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।
22. उच्च न्यायालय ने वास्तव में सही पाया कि उसके पास एक निर्णय और/या आदेश को

वापस लेने की अंतर्निहित शक्ति थी जो निर्णय और/या आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना अधिकार क्षेत्र या निर्णय और/या आदेश के बिना पारित किया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर 2020 के आदेश को वापस नहीं लिया।उच्च न्यायालय ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या उसके पास आई. पी. सी. की धारा306 के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है, जो एक गंभीर गैर-शमनीय अपराध है, जिसमें पक्षों के बीच समझौते के आधार पर दस साल का कारावास शामिल है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

23. उच्च न्यायालय ने मृतक की पत्नी को सुने बिना पारित 20 अक्टूबर 2020 के अपने आदेश को वापस लेने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि मूल सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता, मृतक के एक चचेरे भाई और एक कर्मचारी को सुना गया था।मृतक के चचेरे भाई-सह-कर्मचारी को सुनना मृतक की पत्नी को सुनाने की आवश्यकता को समाप्त नहीं कर सकता है और न ही करता है।मृतक की पत्नी को चचेरे भाइयों की तुलना में अधिक रुचि होगी और

जी.

5 2019 एससीसी ऑनलाइन 1786 6 (2011) 14 एससीसी 770

एच.

अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने वाले कर्मचारी जिन पर उसके पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।

24. हालाँकि, चूंकि 20 अक्टूबर 2020 के प्रारंभिक आदेश को भी इन अपीलों में चुनौती दी गई है, इसलिए इस न्यायालय के लिए वास्तव में इस सवाल पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या Cr.P.C की धारा 482 के तहत पारित अंतिम आदेश. किसी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा, इस तरह के आदेश को वापस लेने और/या समीक्षा के लिए Cr.P.C में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, वापस लिया जा सकता था।उच्च न्यायालय ने वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया है कि असाधारण परिस्थितियों

में, अन्याय को रोकने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेशों को वापस लिया जा सकता है।

बी.

सी.

25. इस अपील में एकमात्र सवाल यह है कि क्या आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक विविध आवेदनों की अनुमति दी जा सकती थी और आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक एफ़. आई. आर., जिसमें दस साल की कैद की सजा शामिल है, को एफ़. आई. आर. में नामित शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता था। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक नहीं हो सकता है।26. Cr.P.C की धारा 482 प्रदान करती हैः—

डी.

"482. उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना।—इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो।"

ई.

27. भले ही, आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति व्यापक है, लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग असाधारण मामलों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।Cr.P.C की धारा 482 के तहत अधिकारिता का उपयोग पूछने के लिए नहीं किया जाना है।

एफ.

28. मोनिका कुमार **(**डॉ**.)** बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **7** में**,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

जी.

Cr.P.C की धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह के अभ्यास को धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है।

7 (2008) 8 एससीसी 781 ए

एच.

29. असाधारण मामलों में, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है।हालाँकि, हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब शिकायत में किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया हो, या यह स्पष्ट रूप से तुच्छ, परेशान करने वाला या दमनकारी था, जैसा कि इस न्यायालय ने श्रीमती.

धनलक्ष्मी बनाम आर**.** प्रसन्ना कुमार **8. 30.**दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी

बी.

और अन्य।**9 ,** इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित कियाः

“6. यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान संहिता की धारा 482 पुरानी संहिता की धारा 561-ए की मौखिक प्रति है।यह प्रावधान अकेले उच्च न्यायालय को उन मामलों में एक अलग और स्वतंत्र शक्ति प्रदान करता है जहां गंभीर और पर्याप्त अन्याय किया गया है या जहां अदालत की प्रक्रिया का गंभीर रूप से दुरुपयोग किया गया है।यह केवल एक पुनरीक्षण शक्ति नहीं है जिसका उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ किया जाता है।यह इस धारा के तहत था कि पुरानी संहिता में, उच्च न्यायालय गवाहों या अन्य व्यक्तियों या अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर देते थे या टिप्पणियों को अनावश्यक रूप से हटा देते थे।इस प्रकार, धारा 561-ए (जो अब धारा 482 है) का दायरा, दायरा और सीमा धारा 397 के प्रावधानों के तहत वर्तमान संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों से काफी अलग है।ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में ओवरलैपिंग हो सकती है लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होंगे।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि वर्तमान संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब वादी के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध न हो और न कि जहां क़ानून द्वारा कोई विशिष्ट उपाय प्रदान किया गया हो।इसके अलावा, शक्ति असाधारण होने के कारण इसका प्रयोग संयम से करना पड़ता है।यदि इन विचारों को ध्यान में रखा जाए, तो वर्तमान संहिता की धारा 482 और 397 (2) के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

7. धारा 482 के तहत शक्ति की सीमाओं को इस न्यायालय द्वारा राज कपूर बनाम राज्य [(1980) 1 एस. सी. सी. 43 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया थाः1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 72] जहाँ कृष्ण अय्यर, जे. ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन कियाः[एससीसी पैरा 10,पी. 47:एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.76]

जी.

8 ए. आई. आर 1990 एस. सी 494:1990 एस. सी. सी. 686 9 (1983) 1 एस. सी. सी. 1

एच.

"फिर भी, एक सामान्य सिद्धांत कानून की इस शाखा में व्याप्त है जब एक विशिष्ट प्रावधान किया जाता हैःबाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर अंतर्निहित शक्ति का आसान सहारा लेना सही नहीं है।ऐसा नहीं है कि अधिकार क्षेत्र का अभाव है, लेकिन उस अंतर्निहित शक्ति को उसी संहिता के तहत विशिष्ट शक्ति के लिए अलग किए गए क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए।"

बी.

8. एक अन्य महत्वपूर्ण विचार जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि धारा 482 के प्रावधानों के तहत कार्य करने वाले उच्च न्यायालय को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कब करना चाहिए।इस मामले को श्रीमती में अधिक विस्तार से बताया गया था। नागावा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी [(1976) 3 एस. सी. सी. 736:1976 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 507:1976 एस. सी. आर. 123:1976 सी. आर. आई. एल. जे. 1533] जहाँ वर्तमान संहिता की धारा 202 और 204 के दायरे पर विचार किया गया था और दिशानिर्देशों और आधारों को निर्धारित करते हुए कि जिन आधारों पर कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः[एससीसी पैरा 5,पी. 741:एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) पीपी. 511-12]

सी.

डी.

"इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि निम्नलिखित मामलों में अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द या अलग किया जा सकता हैः

ई.

(1) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप या उसके समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयान उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं, अभियुक्त के खिलाफ बिल्कुल कोई मामला नहीं बनता है या

शिकायत किसी अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है जो अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया गया है;

एफ.

(2) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं ताकि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर न पहुँच सके कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है;

जी.

(3) जहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करने की प्रक्रिया में प्रयोग किया गया विवेकाधिकार मनमाना और मनमाना है जो या तो किसी साक्ष्य पर या ऐसी सामग्री पर आधारित नहीं है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य है; और

एच.

311

डैक्साबेन बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

(4) जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोषों से ग्रस्त है, जैसे कि मंजूरी का अभाव, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत का अभाव और इसी तरह।हमारे द्वारा उल्लिखित मामले विशुद्ध रूप से उदाहरणात्मक हैं और आकस्मिकताओं को इंगित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जहां उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द कर सकता है।"

बी.

9. शारदा प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य (1977) 1 एस. सी. सी. 505 में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में भी यही विचार लिया गया थाः1977 एससीसी (सीआरआई) 132: (1977) 2 एससीआर 357:1977 सी. आर. आई. एल. जे. 1146] जहाँ न्यायमूर्ति भगवती ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित टिप्पणी कीः[एससीसी पैरा 2,पी. 506:एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.133]

सी.

"अब यह तय कानून है कि जहां शिकायत या आरोप पत्र में दिए गए आरोप कोई अपराध नहीं हैं, वहां उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेते हुए पारित आदेश को रद्द करने में सक्षम है।

डी.

10. इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि प्रारंभिक चरणों में किसी अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही केवल तभी रद्द की जा सकती है जब शिकायत या उसके साथ आने वाले दस्तावेजों के सामने कोई अपराध गठित नहीं किया जाता है।दूसरे शब्दों में, परीक्षण यह है कि आरोपों और शिकायत को कुछ भी जोड़े या घटाए बिना, यदि कोई अपराध नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय वर्तमान संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करने में उचित होगा।"

ई.

31. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गौरीशेट्टी महेश 10 में अभिनिर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालय, आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सामान्य रूप से इस बात की जांच शुरू नहीं करेगा कि क्या साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या क्या इस बात की उचित संभावना है कि आरोप कायम नहीं होगा।

एफ.

32. परमजीत बत्रा बनाम उत्तराखंड राज्य **11** में**,** यह न्यायालय

जी.

आयोजितः—

"12. संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को सतर्क रहना होगा।यह शक्ति है कि

10 (2010) 11 एससीसी 226 11 (2013) 11 एससीसी 673

एच.

इसका उपयोग संयम से और केवल किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा।शिकायत किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करती है या नहीं, यह उसमें आरोप लगाए गए तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है।आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।..."

बी.

33. माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम संभाजीराव में

इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, चंद्रोजीराव आंग्रे 12 ने आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में कानून का सारांश दिया। इस न्यायालय ने निर्णय दियाः—

"7. कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है कि जब प्रारंभिक चरण में एक अभियोजन को रद्द करने के लिए कहा जाता है, तो अदालत द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या अनियंत्रित आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं।यह न्यायालय के लिए भी है कि वह किसी विशेष मामले में दिखाई देने वाली किसी भी विशेष विशेषता को ध्यान में रखे और इस बात पर विचार करे कि क्या अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना समीचीन और न्याय के हित में है।यह इस आधार पर है कि अदालत का उपयोग किसी भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और जहां अदालत की राय में अंतिम दोषसिद्धि की संभावनाएँ धूमिल हैं और इसलिए, आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है, अदालत किसी मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को भी रद्द कर सकती है, भले ही वह प्रारंभिक चरण में हो।"

सी.

डी.

ई.

34. इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य **13** में**,** यह

न्यायालय ने टिप्पणी कीः—

एफ.

"46. अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक अभियोजन का उपयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में या निजी प्रतिशोध की मांग के लिए या आरोपी पर दबाव बनाने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ नहीं किया जाता है।उपरोक्त मामलों के विश्लेषण पर, हमारी राय है कि अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले एक अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इसे सी. आर. पी. सी. द्वारा उचित ठहराया जाए।

जी.

12 (1988) 1 एससीसी 692 13 (2007) 12 एससीसी 1 ए

एच.

विशेष रूप से क़ानून में और उपरोक्त मामलों में निर्धारित परीक्षण।तय कानूनी स्थिति को देखते हुए, विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।"

35. यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि आपराधिक अभियोजन, यदि अन्यथा उचित है, तो दुर्भावना या प्रतिशोध के कारण दूषित नहीं किया जाता है।

जैसा कि पंजाब राज्य बनाम गुरदियाल सिंह **14** में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा है "यदि

बी.

किसी वैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए शक्ति का उपयोग द्वेष द्वारा सक्रियण या उत्प्रेरण विधिसम्मत नहीं है।"

36. कपिल अग्रवाल और ओआरएस. वी.संजय शर्मा और अन्य 15,

इस न्यायालय ने कहा कि आई. डी. 1 की धारा 482 को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है कि आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियारों में बदलने की अनुमति नहीं है।

सी.

37. आत्महत्या के लिए उकसाने का आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध एक गंभीर, गैर-यौगिक अपराध है।बेशक, आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और इसका उपयोग गैर-शमनीय अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी किया जा सकता है।जहां पीड़ित और अपराधी ने अनिवार्य रूप से दीवानी और व्यक्तिगत प्रकृति के विवादों से समझौता किया है, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।किन मामलों में समझौता करने पर प्राथमिकी या आपराधिक शिकायत या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।38. हालाँकि, किसी एफ. आई. आर., आपराधिक शिकायत और/या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को, जैसा कि ऊपर देखा गया है, सावधानी बरतनी होगी और अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखना होगा।जघन्य या गंभीर अपराध, जो प्रकृति में निजी नहीं हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, उन्हें अपराधी और शिकायतकर्ता और/या पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है।हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती और यहां तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध न तो निजी हैं और न ही नागरिक प्रकृति के हैं।इस तरह के अपराध समाज के खिलाफ

हैं।किसी भी परिस्थिति में समझौता करने पर अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है, जब अपराध गंभीर और गंभीर हो और समाज के खिलाफ अपराध के दायरे में आता हो।

डी.

ई.

एफ.

जी.

14 (1980) 2 एससीसी 471 15 (2021) 5 एससीसी 524

एच.

39. केवल शिकायतकर्ता के साथ एक समझौते के आधार पर गंभीर और गंभीर अपराधों से संबंधित एफ. आई. आर. और/या शिकायतों को रद्द करने का आदेश एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जहां अभियुक्त से पैसे निकालने के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष कारणों से शिकायतें दर्ज की जाएंगी।इसके अलावा, आर्थिक रूप से मजबूत अपराधी सूचना देने वालों/शिकायतकर्ताओं को खरीदकर और उनके साथ समझौता करके, हत्या, बलात्कार, दुल्हन को जलाने आदि जैसे गंभीर और गंभीर अपराधों के मामलों में भी मुक्त हो जाते थे।यह एक विशिष्ट सामाजिक उद्देश्य के साथ आई. पी. सी. में एक निवारक के रूप में शामिल की गई धाराओं, जैसे कि 376,498-ए, 304-बी आदि को अन्य प्रावधानों में बदल देगा।40. आपराधिक न्यायशास्त्र में, शिकायतकर्ता की स्थिति केवल सूचना देने वाले की होती है।एक बार जब एक प्राथमिकी और/या आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है और राज्य द्वारा एक आपराधिक मामला शुरू किया जाता है, तो यह राज्य और आरोपी के बीच का मामला बन जाता है।यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि समाज में कानून और व्यवस्था बनी रहे।अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्य का काम है।गंभीर और गंभीर गैर-शमनीय अपराधों के मामले में जो समाज को प्रभावित करते हैं, सूचना देने वाले और/या शिकायतकर्ता को केवल सुनवाई का अधिकार है, यह सुनिश्चित करने की सीमा तक कि न्याय अपराधी को दोषी ठहराकर और सजा देकर किया जाता है।एक सूचना देने वाले को कानून में गंभीर, गंभीर और/या जघन्य प्रकृति के गैर-यौगिक अपराध की शिकायत को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है, जो समाज को प्रभावित करता है।

बी.

सी.

डी.

41. ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य 16 में, इस न्यायालय ने इस पर चर्चा की

जिन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय एक गैर-शमनीय अपराध के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देता है, जब पक्षों के बीच समझौता होता है और निम्नलिखित सिद्धांतों को स्पष्ट किया जाता हैः-

ई.

58. जहां उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच विवाद का निपटारा कर दिया गया है, हालांकि अपराध शमनीय नहीं हैं, वह ऐसा करता है क्योंकि उसकी राय में, आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना निरर्थकता में एक अभ्यास होगा और मामले में न्याय की मांग है कि पक्षों के बीच विवाद को समाप्त कर दिया जाए और शांति बहाल की जाए; न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना अंतिम मार्गदर्शक कारक है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध ऐसे कार्य हैं जिनका जनता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और जिसमें गलत काम शामिल होते हैं जो समाज की भलाई को गंभीर रूप से खतरे में डालते हैं और अपराध करने वाले को केवल इसलिए छोड़ना सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसने और पीड़ित ने विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया है या फिर भी पीड़ित को मुआवजा दिया गया है।

एफ.

जी.

एच.

16 (2012) 10 एससीसी 303 ए

कुछ अपराधों को अदालत की अनुमति के साथ या उसके बिना कानूनी रूप से शमनीय बना दिया गया है।हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे गंभीर अपराधों या आई. पी. सी. के तहत मानसिक भ्रष्टता के अन्य अपराधों या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत नैतिक अधमता के अपराधों या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं हो सकती है।तथापि, कुछ अपराध जो सिविल, व्यापारिक, वाणिज्यिक, वित्तीय, साझेदारी या इस तरह के लेन-देन या विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराधों, विशेष रूप से दहेज, आदि से संबंधित या पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुए हैं, जहां गलती मूल रूप से पीड़ित और अपराधी और पीड़ित के लिए है, ने उनके बीच सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, इस तथ्य

के बावजूद कि ऐसे अपराधों को शमनीय नहीं बनाया गया है, उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के ढांचे के भीतर आपराधिक कार्यवाही या आपराधिक शिकायत या एफ. आई. आर. को रद्द कर सकता है यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि इस तरह के समझौते के बावजूद, अपराधी को दोषी ठहराए जाने की शायद ही कोई संभावना है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं करके, न्याय दुर्घटना होगी और न्याय को पराजित किया जाएगा।उपरोक्त सूची सचित्र है और संपूर्ण नहीं है।प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करेगा और कोई कठोर और त्वरित श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

42. नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 17 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

जघन्य और गंभीर अपराधों के मामले में, जिन्हें आम तौर पर समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है, अपराधी को दंडित करना राज्य का कर्तव्य है।इसलिए, जब कोई समझौता होता है, तब भी अपराधी और पीड़ित का दृष्टिकोण प्रबल नहीं होगा क्योंकि यह समाज के हित में है कि अपराधी को दूसरों को इसी तरह के अपराध करने से रोकने के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

एफ.

43. महाराष्ट्र राज्य बनाम विक्रम अनंत राय दोशी **18** में**,** यह

अदालत ने कहाः-

जी.

“26. ..... जांच एजेंसी के आरोप के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंक से धन का लाभ उठाना, राजकोषीय अशुद्धता और एक तरह से वित्तीय धोखाधड़ी को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। आरोप-पत्र में वर्णित कार्यप्रणाली को शामिल नहीं किया जा सकता है

17 (2014) 9 एससीसी 466 18 (2014) 15 एससी 29

एच.

किसी व्यक्ति या व्यक्तिगत गलती का विभाजन।यह एक सामाजिक गलती है और इसका सामाजिक प्रभाव बहुत अधिक है।वित्त से निपटने का यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जब भी इस प्रकार के लाभों का लाभ उठाने के लिए हेरफेर और चतुराई से कल्पना की जाती है तो इसे

अत्यधिक और मुख्य रूप से नागरिक चरित्र वाला मामला नहीं माना जा सकता है।अंतिम शिकार सामूहिक होता है।यह समाज के वित्तीय हित में खतरा पैदा करता है।अपराध की गंभीरता राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ में सेंध लगाती है।....."

बी.

44. सी**.** बी**.** आई**.** बनाम मनिंदर सिंह **19** में**,** इस न्यायालय ने निर्णय दिया:**-**

"17. ... आर्थिक अपराधों में न्यायालय को न केवल इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बैंक को धन का भुगतान किया गया है जिसे धोखा दिया गया है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को भी।यह साधारण हमले या मामूली राशि की चोरी का मामला नहीं है; लेकिन जिस अपराध से हम संबंधित हैं, वह अच्छी तरह से योजनाबद्ध था और बड़े पैमाने पर समाज के लिए परिणाम की परवाह किए बिना व्यक्तिगत लाभ पर नज़र रखते हुए जानबूझकर किया गया था।केवल इस आधार पर कार्यवाही को रद्द करना कि अभियुक्त ने बैंक के साथ राशि का निपटान किया है, एक गलत सहानुभूति होगी।यदि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ अभियोजन जारी नहीं रहने दिया जाता है, तो पूरा समुदाय व्यथित होता है।"

सी.

डी.

ई.

45. तमिलनाडु राज्य बनाम आर**.** वसंती स्टेनली **20** में**,** यह न्यायालय

आयोजित:-

"14. ... आर्थिक अपराधों में जागरूकता, ज्ञान या इरादे की कमी को न तो माना जाना चाहिए और न ही स्वीकार किया जाना चाहिए।लिंग पर दृढ़ता से प्रस्तुत समर्पण हमें अप्रभावित छोड़ देता है।आपराधिक कानून के तहत अपराध एक अपराध है और यह किसी आरोपी के लिंग पर निर्भर नहीं करता है।यह सच है कि सी. आर. पी. सी. में धारा 437 आदि के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित कुछ प्रावधान हैं, लेकिन वे पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र से संबंधित हैं। हत्या करने वाला या वित्तीय घोटाले या दस्तावेजों की जालसाजी में शामिल होने वाला व्यक्ति अपने लिंग के आधार पर आरोपमुक्त या बरी होने का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह न तो संवैधानिक है और न ही संवैधानिक है।

एफ.

जी.

19 (2016) 1 एससीसी 389 20 (2016) 1 एससीसी 376 ए

एच.

वैधानिक रूप से एक वैध तर्क।इस मामले में अपराध लिंग तटस्थ है।हम इस अंक पर और कुछ नहीं कहते हैं।

15. ... एक गंभीर आपराधिक अपराध या गंभीर आर्थिक अपराध या उस मामले के लिए अपराध जो संस्थानों की वित्तीय स्थिति में सेंध लगाने की क्षमता रखता है, को इस आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि मुकदमे में देरी हो रही है या इस सिद्धांत पर कि जब मामला सुलझा लिया गया है तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए ताकि प्रणाली पर बोझ से बचा जा सके। ...”

बी.

46. परबतभाई अहीर उपनाम पर्बतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 21 में, एक तीन-न्यायाधीश

इस अदालत की पीठ ने नरिंदर सिंह (उपरोक्त), विक्रम अनंत राय का हवाला दिया।

सी.

दोशी **(**ऊपर**),** सी**.** बी**.** आई**.** बनाम मनिंदर सिंह **(**ऊपर**),** आर**.** वसंत स्टेनली

(ऊपर) और आयोजितः-

“16. इस विषय पर पूर्वजों से उभरने वाले व्यापक सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रस्तावों में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः

डी.

16.1.धारा 482 किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को संरक्षित करती है।यह प्रावधान नई शक्तियां प्रदान नहीं करता है।यह केवल उन शक्तियों को मान्यता देता है और संरक्षित करता है जो उच्च न्यायालय में निहित हैं।

ई.

16.2.प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान कि अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो गया है, एक अपराध के चक्रवृद्धि के उद्देश्य से अधिकार क्षेत्र के आह्वान के समान नहीं है।एक अपराध को चक्रवृद्धि करते समय, न्यायालय की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के

प्रावधानों द्वारा शासित होती है।धारा 482 के तहत रद्द करने की शक्ति तब भी आकर्षित होती है जब अपराध गैर-शमनीय हो।

एफ.

जी.

16.3.यह राय बनाने में कि क्या किसी आपराधिक कार्यवाही या शिकायत को धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए रद्द किया जाना चाहिए, उच्च न्यायालय को चाहिए कि

21 (2017) 9 एस. सी. सी. 641

एच.

मूल्यांकन करें कि क्या न्याय के उद्देश्य अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराएंगे।

16.4.यद्यपि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का एक व्यापक दायरा और पूर्णता है, इसका प्रयोग (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए।

बी.

16.5.इस बारे में निर्णय कि क्या शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद का निपटारा कर दिया है, अंततः प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर घूमता है और सिद्धांतों का कोई विस्तृत विस्तार नहीं किया जा सकता है।16.6.धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और एक याचिका पर विचार करते हुए कि विवाद का निपटारा कर दिया गया है, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए।मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे अपराधों से जुड़े जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, हालांकि पीड़ित या पीड़ित के परिवार ने विवाद को सुलझा लिया है।इस तरह के अपराध, वास्तव में, निजी प्रकृति के नहीं हैं, लेकिन समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।ऐसे मामलों में मुकदमा जारी रखने का निर्णय गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हित के प्रमुख तत्व पर आधारित है।

सी.

डी.

ई.

16.7.गंभीर अपराधों से अलग, ऐसे आपराधिक मामले हो सकते हैं जिनमें नागरिक विवाद का एक भारी या प्रमुख तत्व होता है।जहाँ तक रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग का संबंध है, वे एक अलग आधार पर खड़े हैं।

एफ.

16.8.वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या अनिवार्य रूप से नागरिक स्वाद के साथ इसी तरह के लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अपराधों से जुड़े आपराधिक मामलों को उचित परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है जहां पक्षों ने विवाद का निपटारा किया है।

जी.

16.9.ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि विवादियों के बीच समझौते को देखते हुए, दोषसिद्धि की संभावना कम है और ए

एच.

319

डैक्साबेन बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न और पूर्वाग्रह पैदा होगा; और

16.10.प्रस्ताव 16.8 में दिए गए सिद्धांत में अभी भी एक अपवाद है।और 16.9।ऊपर।राज्य के वित्तीय और आर्थिक कल्याण से जुड़े आर्थिक अपराधों के निहितार्थ हैं जो निजी विवादियों के बीच केवल विवाद के क्षेत्र से परे हैं।जहां अपराधी वित्तीय या आर्थिक धोखाधड़ी या दुराचार जैसी गतिविधि में शामिल है, वहां उच्च न्यायालय को रद्द करने से इनकार करना उचित होगा। वित्तीय या आर्थिक प्रणाली पर शिकायत किए गए अधिनियम के परिणाम संतुलन में वजन करेंगे।"

बी.

सी.

47. मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य। 22, ए

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर चर्चा की और निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित कियाः-

"15. इस मुद्दे पर कानून और इस मुद्दे पर इस न्यायालय के अन्य निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जिसे यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है, यह निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया जाता हैः

डी.

15.1.कि संहिता की धारा 320 के तहत गैर-शमनीय अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग भारी और मुख्य रूप से नागरिक चरित्र के साथ किया जा सकता है, विशेष रूप से वे जो वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होते हैं या वैवाहिक संबंध या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं और जब पक्षकारों ने आपस में पूरे विवाद का समाधान कर लिया हो;

ई.

एफ.

15.2.ऐसी शक्ति का प्रयोग उन अभियोजनों में नहीं किया जाना चाहिए जिनमें मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध शामिल हैं। इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।

जी.

15.3.इसी तरह, इस तरह की शक्ति का प्रयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के लिए नहीं किया जाना चाहिए या उस क्षमता में काम करते हुए लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों को केवल रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

22 (2019) 5 एस. सी. सी. 688

एच.

पीड़ित और अपराधी के बीच समझौते के आधार पर;

15.4.आई. पी. सी. की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम, आदि के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए इन्हें समाज के खिलाफ अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ, और इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 307 और/या शस्त्र अधिनियम, आदि के तहत अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही, जिसका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके रद्द नहीं किया जा सकता है, इस आधार पर कि पक्षों ने आपस में अपने पूरे विवाद का समाधान कर लिया है।हालांकि, उच्च न्यायालय अपने फैसले को केवल इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि प्राथमिकी में आई. पी. सी. की धारा 307 का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है।यह उच्च न्यायालय के लिए इस बात की जांच करने के लिए खुला होगा कि क्या इसके लिए आई. पी. सी. की धारा 307 को शामिल किया गया है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो यदि साबित हो जाता है, तो आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत आरोप तय किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय के लिए यह देखने के लिए खुला

होगा कि क्या ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/नाजुक हिस्सों, उपयोग किए गए हथियारों की प्रकृति आदि पर लगी है या नहीं। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की कवायद की अनुमति जांच के बाद साक्ष्य एकत्र करने और आरोप पत्र दायर करने/आरोप तैयार करने और/या मुकदमे के दौरान ही दी जाएगी।इस तरह की कवायद की अनुमति नहीं है जब मामला अभी भी जांच के दायरे में है।इसलिए, नरिंदर सिंह [(2014) 6 एस. सी. सी. 466 में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 29.6 और 29.7 में अंतिम निष्कर्षः(2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 54] को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसे समग्र रूप से और ऊपर बताई गई परिस्थितियों में पढ़ा जाना चाहिए;

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

15.5.गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो निजी प्रकृति के हैं और जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता है, इस आधार पर कि पीड़ित और अपराधी के बीच समझौता/समझौता है, उच्च न्यायालय को अभियुक्त के पूर्ववृत्त पर विचार करने की आवश्यकता है; अभियुक्त का आचरण, अर्थात्, क्या अभियुक्त फरार था और वह क्यों फरार था, कैसे ए

जी.

एच.

321

डैक्साबेन बनाम गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

वह शिकायतकर्ता के साथ समझौता करने आदि में कामयाब रहा था।”

48. अरुण सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अपने सचिव और अन्य 23 के माध्यम से, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः-

“14. नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस. सी. सी. 466 में एक अन्य निर्णय मेंः(2014) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 54] यह देखा गया है कि समाज के खिलाफ अपराध के संबंध में अपराधी को दंडित करना कर्तव्य है।इसलिए, जहां अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता होता है, वहां भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह समाज के हित में है कि अपराधी को

दंडित किया जाना चाहिए जो दूसरों को इसी तरह के अपराध करने से रोकने का काम करता है। दूसरी ओर, उस श्रेणी में आने वाले अपराध हो सकते हैं जहां आपराधिक कानून के सुधारात्मक उद्देश्य को निवारक दंड के सिद्धांत की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।ऐसे मामलों में, अदालत की राय हो सकती है कि पक्षों के बीच एक समझौते से उनके बीच बेहतर संबंध बनेंगे और एक बढ़ते निजी विवाद का समाधान हो जाएगा और इस प्रकार कार्यवाही या शिकायत या प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

बी.

सी.

डी.

15. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जो निर्धारित किए गए हैं, हमारा विचार है कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं पर आरोप लगाए गए हैं, वे वास्तव में समाज के खिलाफ अपराध हैं और निजी प्रकृति के नहीं हैं।इस तरह के अपराधों का समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और ऐसे मामलों की सुनवाई जारी रहना ऐसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को दंडित करने में सार्वजनिक हितों के प्रबल प्रभाव पर आधारित है।यह न तो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, साझेदारी या इस तरह के समान लेनदेन से उत्पन्न होने वाला अपराध है और न ही इसमें नागरिक विवाद का कोई तत्व है, इसलिए यह एक अलग आधार पर खड़ा है।ऐसे मामलों में, शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता होने पर भी, यह प्राथमिकी या आरोप पत्र को रद्द करने के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकता है।

ई.

एफ.

जी.

16. इस प्रकार उच्च न्यायालय को पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आरोप पत्र को रद्द करने से इनकार करने में अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।"

23 (2020) 3 एस. सी. सी. 736

एच.

49. आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय शिकायत में आरोप की शुद्धता की जांच नहीं करता है, सिवाय असाधारण रूप से दुर्लभ मामलों के जहां यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि आरोप तुच्छ हैं या किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं।

50. हमारी सुविचारित राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके आपराधिक कार्यवाही को शुरू में ही समाप्त नहीं किया जा सकता है। पी. सी. केवल इसलिए कि एक समझौता है, इस मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता और मृतक के अन्य रिश्तेदारों के बीच मृतक की असहाय विधवा को बाहर करने के लिए एक मौद्रिक समझौता है।जैसा कि इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने लक्ष्मी नारायण और अन्य (उपरोक्त) मामले में निर्णय दिया है, आई. पी. सी. की धारा 307 जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आती है और इसे समाज के खिलाफ अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल व्यक्ति के खिलाफ।तर्क की समानता पर, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध उसी श्रेणी में आएगा।सूचना देने वाले, जीवित पति/पत्नी, माता-पिता, बच्चों, अभिभावकों, देखभाल करने वालों या किसी और के साथ किसी भी वित्तीय समझौते के आधार पर आई. पी. सी. की धारा306 के तहत एक एफ. आई. आर. को रद्द नहीं किया जा सकता है।यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय के लिए इस प्रश्न की जांच करना आवश्यक नहीं था कि क्या इस मामले में प्राथमिकी आईपीसी की धारा 246 के तहत किसी अपराध का खुलासा करती है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया कि आरोपी और सूचना देने वाले के बीच विवादों से समझौता किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

51. अपीलों की अनुमति है।उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को खारिज कर दिया जाता है। इस निर्णय में की गई टिप्पणियों को संबंधित पक्षों की दलीलों के गुण-दोष पर किसी भी अवलोकन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

एफ.

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.